कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री रामावतार, प्रधानाचार्य, सिपाही शहीद देवकरण राउमावि बुडानिया जिला झुन्झुनूं का स्थानान्तरण राउमावि चिन्नू जिला जैसलमेर किया गया था जिसके विरूद्ध रामावतार द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 841/2021 रामावतार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 841/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2021 द्वारा अपीलार्थी रामावतार को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में 2 सप्ताह में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार 15 दिवस के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने एवं ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी शारीरिक व पारिवारिक परिस्थितियों एवं स्वयं के मधुमेह रोग से ग्रस्त होने को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन/समायोजन राउमावि सारडी, लाडनूं जिला नागौर/राउमावि रिडी, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर/राउमावि आंवलियासर जिला नागौर/राउमावि धर्मास जिला बीकानेर/राउमावि फोगन भृतहरि जिला चूरू/राउमावि नीमा जिला चूरू में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2021 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, गुर्दा प्रत्यारोपण एवं हृदय शल्य चिकित्सा जैसे गम्भीर एवं असाध्य रोग से पीड़ित कार्मिकों को ही स्थानान्तरण आवेदनों में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश प्राप्त थे। प्रार्थी किसी गम्भीर एवं असाध्य रोग से पीड़ित नहीं है। साथ ही परिजनों की रूग्णता के आधार पर अनुतोष का लाभ देय नहीं है। अपीलार्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा योगकाल एवं यात्रा भत्ता अनुज्ञेय करते हुए प्रशासनिक आवश्यकता में स्थानान्तरित किया गया है। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें नियोक्ता द्वारा विभागीय प्राथमिकता, प्रशासनिक आवश्यकता, राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। अन्यत्र पदस्थापित/स्थानान्तरित किये जाने से किसी भी लोक सेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता। उक्तानुसार श्री रामावतार, प्रधानाचार्य का अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/रामावतार/841/2021/198 **दिनांकः** 24/02/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू/जोधपुर संभाग, चूरू/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं/जैसलमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक झुन्झुनूं/जैसलमेर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री रामावतार, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राउमावि चिन्नू जिला जैसलमेर
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)